प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 834 सन 2020
अनवान :–

1. मैना देवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चुरू

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 05/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 215/223 की कुल 8.1320हैक्‍ में से 2529/8132 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का नाम /सकुनत मेनका पत्नी हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम/सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम/सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादीया के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम /सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मेनका पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर मीरा पत्नि स्व बलवन्त के स्थान पर मैना पत्नि स्व बलवन्त संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 215/223 की कुल 8.1320हैक्‍ में से 2529/8132 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का नाम /सकुनत मेनका पत्नी हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम/सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम/सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादीया के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम /सकुनत मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मेनका पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 215/223 की कुल 8.1320हैक में से 2529/8132 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम/सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा के स्थान पर मेनका पत्नी हसंराज दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मैनादेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट साकिन भलाउ टिब्बा दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मैना होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 215/223 की कुल 8.1320हैक में से 2529/8132 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम मेनका पत्नी हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ अंकित है के स्थान पर मैना देवी उर्फ मेनका पत्नी हरिसिह उर्फ हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट...रोहिड़ा.......

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मैना देवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 834 सन 2020 निर्णय दिनांक– 5/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 215/223 की कुल 8.1320हैक्ट में से 2529/8132 हिस्सा भूमि में वादीया का नाम मेनका पत्नी हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ अंकित है के स्थान पर मैना देवी उर्फ मेनका पत्नी हरिसिह उर्फ हसंराज जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/10/21 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट टोपरिया

Scanned with CamScanner